RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
(Credit Appraisal Section)
(CAS)

Ref. No. RFC/CAS-1/Gen.85/64 Dated September 8, 2021

All Branch Managers
Rajasthan Financial Corporation,
all BOs

Reg: Amendment in Mukhymantri Laghu Udyog Protsahan Yojna(MLUPY)

Please find enclosed herewith copy of letter dated 07.09.2021 received from Joint Director, Office of Commissioner (Industries) and CSR, Udyog Bhawan, Jaipur along with copy of notification No. P-1-C(50) Udyog / Group-2/2019 dated 27.08.2021 vide which some amendments in the MLUPY scheme have been made.

You are advised to take a note of the amendments made as per the letter / notification and also intimate all the promoters who want to avail benefit of MLUPY and whose loan applications are pending with the Branch Offices as well as at Head Office, informing them that they should first get the approval / sanction from the Industries Department for the interest subvention / subsidy and after that their loan applications will be processed. Those who are not interested to avail the benefit of interest subvention / subsidy under MLUPY, their loan applications will only be processed in normal course at the Branches / Head Office as per norms. Also as per DIC's letter, cases of MLUPY of loan up to Rs. 10.00 lacs may be processed, sanctioned and disbursed before forwarding to the respective DICs (should be forwarded within 90 days from first disbursement).

All concerned are again advised to take a note of it and take further necessary action accordingly. Please treat the matter as MOST URGENT.

Thanking You,
Yours faithfully,

Dy. General Manager (CAS)

Copy to:

1. All Branch Offices
2. Standard Circulation at HO
3. DGM (MS) for hoisting on RFC Website

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं सीएसआर
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005

क्रमांक :एफ.50( )आ.उ./MLUPY/लक्ष्य/2019–20 दिनांक : 07/09/2021

राज्य स्तरीय समन्वय अधिकारी,
राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक,
निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
राजस्थान वित्त निगम,
सिडबी, अरबन को–ऑपरेटिव बैंक।

विषय : मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में दिनांक 27.08.2021 को किये गये महत्वपूर्ण संशोधनों की सूचना के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 27.08.2021 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। दिनांक 31.03.2021 के पश्चात जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये समस्त प्रकरणों में उक्त संशोधन लागू होंगें। योजना के प्रावधान जिनसे वित्तीय संस्थान प्रभावित होंगें निम्नांकित है :–

1. योजना की पात्रता, सूक्ष्म एवं लघु उपकमों तक सीमित की गई है।
2. विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट्स में ऋण की अधिकतम सीमा 1.00 करोड़ तक सीमित की गई है।
3. विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र ने कम्पोजिट ऋण का अधिकतम 40 प्रतिशत कार्यशील पूंजी (सी.सी. लिमिट सहित) तथा व्यापार क्षेत्र मे कम्पोजिट ऋण का अधिकतम 75 प्रतिशत कार्यशील पूंजी (सी. सी. लिमिट सहित) की मात्रा वाले उपकमों को ही योजनान्तर्गत पात्र किया गया है अतः उक्त अनुपात का ध्यान रखा जावे।
4. आपके द्वारा सीधे वितरित एवं जिला उद्योग केन्द्रों को प्रेषित ऋण प्रकरणों में, ऋण की राशि को अधिकतम 10 लाख रू.पर सीमित किया गया है।
5. अपात्र गतिविधियों खनन, रियल एस्टेट, शिक्षण संस्थान, व अलाभकारी संस्थाओं को जोड़ा गया है।

यदि योजना के प्रावधानों के विरूद्ध ऋण वितरण किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। इस बारे में कोई प्रत्युत्तर होने पर ई–मेल mlupy@rajasthan.gov.in पर भिजवाएं।

सूचनार्थ प्रेषित है। (संलग्न : संशोधन अधिसूचना दिनांक 27.08.2021)

भवदीय
07/09/21
(पी. एन. शर्मा)
संयुक्त निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प. 1 (50) उद्योग/ग्रुप–2/2019 जयपुर, दिनांक 27 AUG 2021

–:संशोधित अधिसूचना:–

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बजट घोषणाओं की अनुपालना, सरलता एवं योजना के बेहतर क्रियान्वयन की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

- योजना में नया अनुच्छेद 4 (ग) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–

  योजना के तहत ऋण एवं ब्याज अनुदान हेतु आवेदन तिथि के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा अन्तर्गत शामिल सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पात्र होंगे। व्यापार हेतु अधिकतम 1 करोड़ रू का ऋण पात्र होगा तथा ब्याज अनुदान की राशि का दो तिहाई हिस्सा सूक्ष्म उद्योगों को दिये जाने की प्राथमिकता दी जाएगी।

- योजना में अनुच्छेद संख्या 5 में नया अनुच्छेद 5 (vi) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–

  5 (vi) :– अरबन को–ऑपरेटिव बैंक।

- योजना के अनुच्छेद – 7 (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

  <u>अनुच्छेद – 7 (1) (अ) ऋण सीमा</u> :– इस योजनान्तर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा विनिर्माण एवं सेवा आधारित नए उद्यम की स्थापना हेतु भूमि, संयंत्र एवं मशीन, वर्क शेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 10 करोड़ रूपये (व्यापार हेतु अधिकतम 1 करोड़ रूपये) तथा विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य से भूमि, संयंत्र एवं मशीन, वर्कशेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 1 करोड़ रूपये तक का ऋण वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि प्रोजेक्ट का भाग होने पर भूमि हेतु, कुल ऋण राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत ऋण ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगा।

  <u>अनुच्छेद– 7 (1) (ब) ऋण का स्वरूप</u> :– ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा केवल सावधि ऋण तथा व्यापार क्षेत्र में

कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी (अधिकतम 25 लाख रूपये तक के ऋण), (सी.सी. लिमिट सहित) होगा।

अनुच्छेद – 7 (1) (स) कम्पोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी की अधिकतम सीमा :– विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण का अधिकतम 40 प्रतिशत कार्यशील पूंजी (सी सी लिमिट सहित) तथा व्यापार क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण का अधिकतम 75 प्रतिशत कार्यशील पूंजी (सी. सी. लिमिट सहित) की मात्रा वाले प्रोजेक्ट ही योजनान्तर्गत पात्र होंगें।

अनुच्छेद–7 (1) (द) : विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के मामलों में विस्तारित प्रोजेक्ट हेतु लिए गए अतिरिक्त सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी पर ही ब्याज अनुदान देय होगा।

अनुच्छेद – 7 (1) (य) : योजना के तहत, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रथम बार स्वीकृत ऋण राशि में किसी प्रकार की वृद्धि ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं मानी जायेगी।

अनुच्छेद –7 (1) (र) विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण की परिभाषा :–

पूर्व संचालित उद्यम द्वारा विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थान से प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णित निवेश के मदों हेतु अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर उद्यम हेतु विनियोजित किया जाना ही विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण माना जाएगा।

अनुच्छेद –7 (1) (ल) परियोजना लागत :–ऋण राशि एवं उद्यमी के स्वयं के अंशदान को मिलाकर परियोजना लागत की अधिकतम सीमा एमएसएमई की परिभाषा अनुसार लघु उद्यम हेतु उल्लेखित निवेश की अधिकतम सीमा तक होगी।

- योजना के अनुच्छेद 7 (III) ख को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के एक लाख रूपये तक के ऋण तथा हस्तशिल्पी/दस्तकार/शिल्पी कार्ड धारकों के 3 लाख रू. तक के ऋण, जिसे कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी ऋण (सी. सी. लिमिट) के रूप में लिए जाने पर ब्याज का शत–प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा।

- योजना के अनुच्छेद संख्या 7 (v) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

  वित्तीय संस्थान द्वारा उनकी अपनी योजनाओं में 10 लाख रू. तक का ऋण वितरित पात्र उपक्रम योजना अन्तर्गत लाभ हेतु पात्र होगा। ऐसे प्रकरणों में वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण वितरण की प्रथम तिथि से अधिकतम 90 दिवस की अवधि में जिला उद्योग केन्द्र को अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। इस अवधि पश्चात प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। वित्तीय संस्थानों से प्राप्त उक्त ऋण आवेदनों को योजना के नोडल अधिकारी द्वारा पात्रता स्वीकारने हेतु वांछित समस्त दस्तावेज प्राप्त कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति से इस बाबत् संधारित रजिस्टर में प्रविष्ठि पश्चात संबंधित वित्तीय संस्थान व ऋणी को पात्रता के संबंध की सूचना दी जाएगी तथा प्रगति योजना के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

- योजना के अनुच्छेद संख्या 10 में नया अनुच्छेद 10 (iv) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–

  अपात्र इकाई द्वारा योजना में ब्याज अनुदान लिए जाने पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा प्रकरण को निरस्त किया जाएगा जिसके आधार पर चुकाया गया ब्याज अनुदान मय 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज वसूलनीय होगा ।

- योजना के अनुच्छेद संख्या 11 में निम्न नये अनुच्छेद जोड़े जाते हैं :–

  (vii) खनन, रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां।

  (viii) शैक्षणिक संस्थान एवं कोंचिंग संबंधी गतिविधियां।

  (ix) अलाभकारी संस्थाओं यथा एनजीओ, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां।

- योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद संख्या 4 (a) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

  ऐसे आवेदक जिनके परिवार में किसी भी सदस्य द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना में विगत 5 वर्ष में पूंजीगत अनुदान अथवा ब्याज अनुदान लिया गया हो।

- योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद संख्या 5 (iv) में निम्नानुसार नये अनुच्छेद जोड़े जाते है:–

  5 (iv) अ – योजना के तहत इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि छोटे–बड़े सभी स्तर पर कार्य करने वाले उद्यमियों के लिए आवेदन हेतु पर्याप्त अवसर हों। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों को ऋणदात्री वित्तीय संस्थान शाखा द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति एवं वितरण/सकारण निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी सूचना ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। सूचना दर्ज नहीं करने पर ब्याज अनुदान का लाभ देय नहीं होगा।

5 (iv) ब – जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति/नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित ऋण राशि से अधिक ऋण स्वीकृत किये जाने पर वित्तीय संस्थान द्वारा समग्र ऋण राशि का पुनः अनुमोदन जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति/नोडल अधिकारी से करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा पूर्व में अनुमोदित ऋण राशि ही ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगी। जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति/नोडल अधिकारी उक्त अनुमोदन को पृथक एजेण्डा के रूप में रखकर अनुमोदित का रिकॉर्ड संधारित करेंगें।

5 (iv) स – योजना के तहत ऋण आवेदन प्रस्तुति के बाद जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा ऋण आवेदनों की छानबीन पश्चात् प्रतिवर्ष उपलब्ध बजट की सीमा में वित्तीय संस्थानों को आवेदन पत्र अग्रेषित किये जायेंगें तथा किसी भी परिस्थिति में प्रावधित बजट सीमा से अधिक दायित्व सृजित नहीं किये जायेगें। वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रत्येक स्तर पर निम्नांकित ऋण आवेदकों को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा:–

i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संवर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के ऋण आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए उस श्रेणी के आवेदकों की पर्याप्त संख्या वाले क्षेत्रों में ऋण वितरण व ब्याज अनुदान का बजट यथा संभव 20 प्रतिशत व 15 प्रतिशत दिया जायेगा।

ii. राज्य के पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के ऋण आवेदकों को योजना क्रियान्वयन में प्राथमिकता दी जायेगी। पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/जिलों का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा "राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना –2019" के तहत जारी आदेश कमांक F.12(39)FD/Tax/2019-Pt-I-232 दिनांक 04.09.2020 के अनुसार होगा।

iii. योजना में यथासंभव 30 प्रतिशत महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करवाने में सहयोग एवं प्राथमिकता दी जायेगी।

iv. योजना के तहत सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों में से भी कम ऋण की मात्रा के आवेदनों/प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करवाया जायेगा जिससे अधिकाधिक संख्या में छोटे उपकम लगाये जा सकें।

- योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद संख्या 5 (v) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

  ऋणदात्री वित्तीय संस्थान ऋण स्वीकृति उपरान्त संबंधित आवेदक को नियमानुसार ऋण वितरण करेंगें। ऋणदात्री वित्तीय संस्थान' द्वारा ऐसे मामलों में ऋणी द्वारा चुकाये गये ब्याज के पुनर्भरण हेतु प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में मांगपत्र (क्लेम) संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किये जायेंगे। मांग पत्रानुसार महाप्रबंधक द्वारा योजना अन्तर्गत देय ब्याज अनुदान की स्वीकृति एवं वितरण यथाशीघ्र किया जायेगा, जो जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति/नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित ऋण राशि के अध्यधीन होगा ।

- योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद संख्या 5 में नया अनुच्छेद 5 (viii) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:–

  योजना के तहत ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों एवं ब्याज अनुदान हेतु प्राप्त क्लेम प्रपत्रों का निस्तारण "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के सिद्धांत पर किया जावेगा"। इसमें सूक्ष्म व लघु उद्यम, एस.सी./एस.टी.उद्यमी/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों के आवेदन पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति/नोडल अधिकारी के अनुमोदन पश्चात ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र वित्तीय संस्थानों को अग्रेषित किये जायेगें। उपरोक्त श्रेणी के आवेदन पत्र वित्तीय संस्थानों को अग्रेषित करने के पश्चात ब्याज अनुदान हेतु बजट उपलब्ध रहने की स्थिति में सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु अंतिम वरीयता में शामिल किया जायेगा।

- योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद संख्या 5 में नया अनुच्छेद 5 (ix) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:–

योजना के तहत किसी भी जिले/पंचायत समिति/नगरीय क्षेत्र में आवंटित लक्ष्य के विरूद्ध अधिकतम दोगुने आवेदन पत्र प्राप्त किये जाऐंगें।

- योजना की मार्गदर्शिका के अनुच्छेद संख्या 5 में नया अनुच्छेद 5 (x) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:–

योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगें। आवेदन पत्रों पर ऋण स्वीकृति हेतु योजना में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की अभिशंषा प्राप्त की जायेगी, प्रतिवर्ष आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर ब्याज अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा। वर्ष के अंत में बचे हुए आवेदन पत्र आगामी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृत किए जाने पर ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगें। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बचे हुए आवेदन पत्र आगामी वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु शामिल किये जायेंगें तथा इन बचे हुए आवेदन पत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग, एमएसएमई।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
10. जिला कलेक्टर, (समस्त) राजस्थान।
11. निदेशक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी, राजस्थान, जयपुर को मय सीडी के भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें।
12. वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (समस्त)।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव